—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 180/2024

उनवान

1. शम्भू सिंह,
2. रतन सिंह,
3. भगवान सिंह पि. सायर सिंह,
4. मंजू कंवर पुत्री सायरसिंह जाति राजपूत नि. तिलाना, नसीराबाद

—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत तिलाना, प.स. श्रीनगर, नसीराबाद,
2. नारायण सिंह दत्तक पुत्र लादू सिंह जाति राजपूत नि. तिलाना,
3. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
4. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक नसीराबाद,
5. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया तिहारी,

—— रेस्पोडेन्टस :—

6. सूरज कंवर,
7. लाड कंवर पुत्री नन्द सिंह जाति राजपूत नि. तिलाना, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस :— 1 व 4 से 7 अनुपस्थित, 3 जरियें राज. पैराकार
2 जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत तिलाना प.स. श्रीनगर द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 20.09.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये जाने के आदेश के विरूद्व अपील

—: आदेश :— दिनांक :— 2.12.25

अधिवक्ता अपीलान्टस ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नवाब के खाता संख्या 359/178 किता 64 रकबा 21.16, 358/177 किता 14 रकबा 2.34 व 429/431 किता 3 रकबा 1.10 की आराजी के खातेदार नन्द सिंह थे। नन्द सिंह के वारिस बृज कंवर पत्नी, सायर सिंह, शम्भू सिं[illegible] सूरज कंवर, लाड कंवर पुत्री के नाम उक्त आराजी जरियें विरासत दर्ज करने [illegible] बृज [illegible] नन्द सिंह के उपरोक्त वारिसान के बजाय नारायण सिंह पुत्र [illegible] लादू सिंह के गोद चाला गया था का नाम भी दर्ज कर दिया गया। [illegible] सिंह का नाम राजस्व [illegible]लेख में खाता संख्या 165/175 में लादू सिंह की विरासत के रूप में अंकित किया [illegible] नारायण सिंह का नाम आराजी मुतनाजा पर जरियें नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 20.09.2009

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

के द्वारा ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्व बिना वारिसान की जॉच के दर्ज किया है। नारायण सिंह गोद चले जाने के कारण नन्द सिंह की आराजी पर हिस्सा व हक प्राप्त करने का अधिकारी नही है।अतः अपील स्वीकार की जा कर विवादग्रस्त नामानतकरण को निरस्त कर दपीलांट के नाम विरासत की कार्यवाही की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा दिनांक 22.07.24 को निजी कार्य के लिये हाल जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर उक्त त्रुटि की जानकारी हुयी। अतः अपील अन्दर मियाद है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्य1 व 4 से 7 अनुपस्थित बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 20.9.09 को ही थी। अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। बृज कंवर पत्नी नन्द सिंह की माता जो जवाबकर्ता की माता है के देहान्त के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये विरासत प्राप्त हुयी है। ग्राम पंचायत तिलना, गिरदावर व हल्का पटवारी ने सम्पूर्ण जॉच कर ही उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया है। उक्त नामान्तकरण का अमल वर्किंग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में भी किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की माता बृज कंवर की मृत्यु के बाद नारायण सिंह लादू सिंह के गोद गया है। पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपनी माता की विरासत से भूमि प्राप्त हो गयी थी। अपीलांट संख्या 1 शम्भू सिंह पुत्र नन्द सिंह अपने पिता नन्द सिंह व माता बृज कंवर की मृत्यु से पूर्व ही रेवंत सिंह के गोद गया था। राजस्व अभिलेख की जमाबंदी खाता संख्या 352 में शम्भू सिंह पुत्र रेंवत सिंह दर्ज है। नन्द सिंह की दो पुत्री सुरज कंवर व लाड कंवर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 ने अपने हिस्से की भूमि का परित्याग अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 25.7.23 को किया है। जिसका नामान्तकरण राजस्व अभिलेख में किया जा चुका है। उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी अपीलांट द्वारा उक्त निराधार अपील पेश की गयी है जो सव्यय खारिज की जावे।

अपील विचारण के दौरान अपीलांट संख्या 1 की मृत्यु होने के कारण उसके वारिस रिकार्ड़ पर लिये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा नजीरे प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत नजीरो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। आराजी मुताजा हाल राजस्व अभिलेख में अपीलांट व रस्पोडेन्टस के नाम अंकित है। उक्त आराजी के मूल खातेदार नन्द सिंह थे। नन्द सिंह की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस बृज कंवर पत्नी, सायर सिंह, शम्भू सिंह, नारायण सिंह पुत्र व सुरज कंवर, लाड कंवर पुत्री है। नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 29.9.09 द्वारा नन्द सिंह की विरासत उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम नन्द सिंह की विरासत के अतिरिक्त लादू सिंह की सम्पति में भी दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या नारायण सिंह लादू सिंह के गोद जाने के बाद लादू सिंह [illegible] जरियें विरासत दर्ज हुआ हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कथन है कि वह अ[illegible] बृज कंवर की मृत्यु के बाद लादू सिंह के गोद गया है। पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] अपनी माता की विरासत से भूमि प्राप्त हो गयी थी। अपीलांट के [illegible] नही किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नन्द सिंह व बृज कंवर कर मृत्यु के बाद गोद गया है अथवा पूर्व में जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने जवाब में कथन किया है कि वह अपनी जायन्दा माता पिता की मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

के बाद लादू सिंह के गोद गया है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी जायन्दा माता–पिता की सम्पति पर हक व अधिकार पूर्व में ही प्राप्त हो गये थे। जो विधि विरूद्व नही कहा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत नजीर 1998 डीएनजे राजस्थान 218 उच्च न्यायालय श्रीमती रेवंती बनाम राजस्व मण्डल वगै. प्रकरण में चस्पा पायी जाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत ग्राम नवाब के खाता संख्या 352/460 की जमाबंदी अनुसार अपीलांट शंभू सिंह भी रेवंत सिंह के गोद गया है। उक्त खाते में अपीलांट शंभू सिंह के पिता का नाम रेवंत सिंह दर्ज है। अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के उक्त कथन का कोई खण्डन नही किया है। नन्द सिंह की पुत्री 2 लाड कंवर ने आराजी मुतनाजा में अपना हिस्सा दिनांक 25.7.23 को अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पंजीबद्ध परित्याग पत्र किया तथा नन्द सिंह की दुसरी पुत्री सुरज कंवर ने आराजी मुतनाजा में अपना हिस्सा दिनांक 25.7.23 को जरियें पंजीबद्व परित्याग पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2, अपीलांट संख्या 1 से 3 के नाम किया है। राजस्व अभिलेख में उक्त हक त्याग का अमल हो चुका है। उक्त परित्याग पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम किस कारण से करवाया गया इसके बारे में भी अपीलांट द्वारा कोई कथन नही किया है। प्रश्नगत नामान्तकरण के विरूद्व 15 वर्ष बाद अपील पेश की है। विलम्ब के कोई समुचित कारण भी अपीलांट द्वारा नही दर्शाये है। उक्त अपील के माध्यम से अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खातेदारी अधिकार परिवर्तित कराना चाहते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अपीलांट संख्या 1 के गोद जाने के तथ्य अपील के माध्यम से तय नही किये जा सकते है। अपीलांट द्वारा नियमित वाद पेश नही कर अत्यधिक विलम्ब से उक्त अपील पेश की है। अपीलांट को परित्याग पत्र की जानकारी होने के बाद भी उसके द्वारा दिनांक 22.7.24 को नामान्तकरण की जानकारी होना सत्य नही माना जा सकता है। ग्राम पंचायत तिलाना द्वारा तस्दीक नामान्तकरण को अपील के माध्यम से विधि विरूद्व नही माना जा सकता है। अपील के तथ्य बहतु सीमित होते है। अपीलांट द्वारा विलम्ब के कोई सद्भाविक कारण नही दर्शाये है। मात्र प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण अंकित करने से विलम्ब सद्भाविक सिद्व नही होता है। जबकि प्रकरण में प्रस्तुत परित्याग पत्र व राजस्व अभिलेख द्वारा अपीलांट को इन्द्राज की पूर्व में जानकारी होना सिद्व होता है। प्रश्नगत प्रकरण में ऐसे विवादित बिन्दु उत्पन्न हुये है जिनको नियमित वाद में साक्ष्य व दस्तावेज से ही पूर्णतया तय किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा होती है। जबकि विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर चस्पा नही पायी जाती है। ग्राम पंचायत तिलना द्वारा स्वीकृत प्रश्नगत नामान्तकरण में कोई विधिक त्रुटि सिद्व नही होती है। नामान्तकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गयी। नामान्तकरण तस्दीक दिनांक से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लादू सिंह के गोद जाना सिद्व नही होता है। अपीलांट द्वारा 15 वर्ष की देरी की है जो, क्षमा योग्य नही है। साथ ही अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

उक्तानुसार ग्राम पंचायत तिलाना द्वारा नामान्तकरण संख्या 113 में दिनांक 20.09.2009 को पारित आदेश विधिसम्मत/न्यायसंगत आदेश है। जिसमें कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नही है, जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य होने से एतद् द्वारा **"खारिज"** की जाती है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)